

23.08.2017

श्री पी.एन. भट्टले अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया। आवेदन पर सुना गया। विचार उपरांत स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

आरोपी महबूब खां सहित श्री भट्टले अधिवक्ता उपस्थित। उन्होंने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा. फो पेश किया। आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी महबूब खां के विरुद्ध परिवादी कंपनी द्वारा विद्युत उर्जा चोरी की राशि 25870/- रुपए की वसूली बावत् परिवाद पेश किया है। आरोपी की प्रकरण में आवश्यकता है। अतः आरोपी द्वारा पेश आवेदन स्वीकार कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. पेश नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया। आरोपी की ओर से आवेदन में निवेदन किया है कि परिवादी कंपनी द्वारा झूठा अपराध पेश किया है तथा आज उसे जानकारी होने पर वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। उसे जमानत पर छोड़ा जावे। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप तथा प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है तथा आरोपी स्वयं उपस्थित हुआ है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहे और उसकी ओर से 15000 रुपए की सक्षम जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 09.09.17 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
विशेष न्यायाधीश विद्युत